International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 6, Issue 5, May 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

संयुक्त प्रान्त आगरा में ब्रिटिशकालीन भू–धारण पद्धतियों का ग्रामीण समाज पर प्रभाव

लेखकः डॉ. बी. डी शुक्ला[1], धर्मेन्द्र सिंह बघेल[2]
[1] डॉ. बी. डी शुक्ला, शोध निर्देशक
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

[2] धर्मेन्द्र सिंह बघेल, शोधार्थी, इतिहास विभाग,
डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रहा है। स्वतंत्रता पूर्व से वर्तमान तक भी भारत को ग्रामों का देश कहा जाता रहा है। प्राचीनकाल से ही ग्राम्य अर्थव्यवस्था समूची अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अपना विशिष्ट महत्व था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिए जाने पर जोर दिया है। किन्तु ब्रिटिश शासन के आगमन तथा भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को ग्रामीण आंचल में तेज किया है, जिसने ग्रामीणों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। दुर्भाग्य से भारत का ग्रामीण जीवन एक लम्बी अवधि तक उपेक्षित व शोषित रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत में छठी शताब्दी के पश्चात् युद्धों और राजनैतिक अस्थिरता में अधिकाधिक वृद्धि होने के कारण कोई भी शासक ग्रामीण समुदाय के विकास की तरफ रूचि न ले सका।

ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रान्त आगरा के ग्रामीण कृषक वर्ग में बढ़ते हुए विभेदीकरण समेत भू–सम्बन्धों की पद्धति में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार और कृषि दास की जगह एक नए वर्ग का अभ्युदय हुआ जिसमें महाजन सह भूमिहीन–काश्तकार और उप–काश्तकार, बटाईदार और कृषि श्रमिक शामिल थे। देश की आजादी के समय भी यह कृषिगत ढाँचा मौजूद था। ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामों की सम्पूर्ण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था जमींदारों के शोषण का शिकार बनी रही। इस प्रक्रिया के चलते ग्रामों में शिक्षा की व्यवस्था का लगभग अभाव बना रहा। इससे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भाग्यवादिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आर्थिक विपन्नता भी

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

बराबर बनी रही, इस कारण मानव जीवन के समस्त दोष इनमें केन्द्रित हो गये। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीणों की मानसिकता पलायन की बनी।

18वीं सदी के मध्य तक आते–आते ब्रिटिश शासन ने संयुक्त प्रान्त आगरा में अपनी वर्चस्वता प्राप्त कर ली थी। स्वतंत्रता पूर्व संयुक्त प्रान्त आगरा का सामाजिक जीवन न तो पूर्णरूप से मुगलशासन प्रभावित था और नहीं अंग्रेजी शासन से वरन् यहां पूर्व हिन्दू, मुस्लिम एवं अन्य धर्म के लोग कई वर्गों में विभाजित था। यहाँ के समाज में भी कठोर व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित यह समाज चार वर्गो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। जबकि शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हिन्दू–मुस्लिम सम्बन्ध ने एक नया मोड़ लिया। दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम साम्राज्य था, जिसमें मुस्लिम हिन्दू सम्बन्ध भाासक तथा शासित रूप में रहा। निःसन्देह दिल्ली सल्तनत एक धर्म निरपेक्ष राज्य था, जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त किसी को राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस काल में आगरा भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया तथा यहाँ पर भी मुस्लिम सांस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। अब भी हिन्दू समाज में निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय थी। इस कारण समाज के निचले वर्ग के लोगों ने इस्लाम के समता एवं भ्रातृत्व के सिद्वातों की ओर आकृश्ट हुआ। निम्न वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर समाज में समता का स्तर प्राप्त हुआ। सामान्य तौर पर आगरा का समाज दो वर्गो में विभाजित था, जिसमें एक वर्ग मुस्लिम तथा दूसरा वर्ग हिन्दू का था।

18वीं सदी के अन्त में आगरा जनपद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना ली थी, जिसके अन्तर्गत चमड़ा उद्योग, काष्ट उद्योग, लौह उद्योग एवं वस्त्र उद्योग प्रमुख थे, हांलाकि इन उद्योगों का स्थापित करने के पीछे अग्रेंजी सल्तनत का अपनी सत्ता शक्ति में विस्तार करना था। वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही था। क्योंकि लगभग सारी ग्रामीण आबादी किसी न किसी रूप में भूमि के साथ सम्बद्ध थी । किसान आर्थिक जीवन का मूलाधार बन चुका था। समाज के अन्य आर्थिक वर्ग – बुनकर, बढ़ई, लुहार अपने अपने उपयोगी काम करते हुए भी, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए कृषि पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी में संयक्त प्रान्त आगरा के 70 प्रतिशत भू–भाग पर कृषि होती थी। कृषि के अन्तर्गत कुल भूमि का 23 प्रतिशत भाग सिंचित था और 5 प्रतिशत पर वर्ष में दो फसलें होती थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि छोटे–छोटे भागो में बंटती जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप जोतों का आकार घट गया था। भूमि के ऐसे छोटे–छोटे टुकड़ों में कृषि ही ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय था।

अहीर, माली, खानजादा एवं मेव जतियों द्वारा मुख्य रूप से खेती का काम किया जाता था। ब्राह्मणों मे भी आधे कृषक थे। राजपूतों में अधिकाश या तो भूमिधारी थे या कृषक थे। मेवों के पास

अन्य कृषि प्रधान जातियों की आपेक्षा दुगुनी से अधिक कृषि भूमि थी लेकिन वह घटिया किस्म के कृषक माने जाते थे। उनकी महिलाऐं उनसे अधिक कृषि कार्य करती थी। राज्य में खानजादों के 26 गॉव थे, जिनमें भूमिधारी स्वंय खेती करते थे। यह कोटकासिम, तिजारा, मुण्डावर, बहरोड़, व बानसूर में अधिकांश रूप से रहते थे। राज्य में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मूँग, मोठ, उड़द, चौला, मकू (मक्का), चावल, तिल, सरसों, राई, कपास, अफीम, तम्बाकू, गन्ना, आदि की खेती की जाती थी।

कृषि के तरीके बहुत ही पुराने व साधारण थे, प्राचीन काल से एक ढर्रे पर चले आ रहे थे। खेती बैल से, कुछ स्थानो पर भैंसों से और कही–कही ऊँटों से की जाती थी। खेतों की जुताई हल से की जाती व कटाई के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था। नहरें, कुँए, तालाब, झीले एवं नाले सिंचाई के प्रमुख साधन थे। कुऑ सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन था। कुँओ से सिंचाई हेतु संयक्त प्रान्त आगरा में लाव, चड़स, और चरखी का प्रयोग होता था। जहां पानी ढाने से काफी नजदीक होता था, वहां ढेकली काम में ली जाती थी।

संयक्त प्रान्त आगरा के पश्चिम और दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी नाले थे, जो सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत थे। दोनों ही पूर्व की और बहते है। यहां सदैव पानी रहता था जिससे पूरे वर्ष सिंचाई की जाती थी। यहां की नदी की शाखा पर मीटे पानी की झील है जो शहर से दक्षिण–पश्चिम और 9 मील की दूरी पर स्थित है। कुछ ऐसे स्थायी तालाब थे जिनमें सिंचाई की जाती थी। रियासत काल में नहरों द्वारा सिंचाई करने वाले किसानों से सिंचाई पर भी कर वसूल किया जाता था। सिंचाई की दर चौकाने वाली थी जो 1 रूपया 4 आना प्रति बीघा थी। इसके राजगढ़ के कुछ गावों में सिंचाई कर के रूप में मात्र 8 आना प्रति बीघा लिया जाता था।

ब्रिटिश सीमा क्षेत्र के वनस्पती संयक्त प्रान्त आगरा के किसानों की स्थिति सामान्यतः अच्छी थी क्योंकि उन पर गॉवों में रहने के लिए दबाव डाला जाता था और कभी–कभी उनके कार्यो में भी सहयोग दिया जाता था। कभी–कभी तो उन्हें उस भूमि का वास्तविक स्वामी भी बना दिया जाता था, जो कि लम्बरदार कहलाते थे। किसानों के अलावा गॉवो में जो अन्य व्यक्ति जैसे – बनिये, कुम्हार, जुलाह आदि रहते थे, उन्हें भूमि दी जाती थी, जिसके लिए उन्हें भू–राजस्व देना पड़ता था। इसी तरह भू–प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत 80 हजार ग्रामवासियों को कुओं खुदवाने हेतु तकाबी ऋण भी किसानों पर करों का भारी बोझ था । भू–राजस्व के अलावा उसके साथ मालवाह राशि वसूल की जाती थी, जो भू–राजस्व का 1 से 3 प्रतिशत या 4 प्रतिशत तक वसूल किया जाता था, जो भिखारियों के दान, साधुओं की भिक्षा एवं प्रमुख त्योहारों पर खर्च होता था। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम खर्चों का बोझ भी किसान को ही वहन करना पडता था।

इतना ही नही दूसरी तरफ किसान साहूकार के चंगुल में फंसा हुआ था क्योंकि जरूरत के समय उसे खेती के लिए साहुकार से ऋण लेना पड़ता था जिस पर साहूकार ऊँची ब्याज की दर

वसूल करता था साहूकार द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसमें वह प्रति रूपये के ऊपर ब्याज का आधा आना जोड़कर देता था। यदि कर्ज वस्तु के रूप में चुकाया जाता था तो पूर्व में वसूल किया गया आधा आना प्रति रूपया इसमें शामिल नही किया जाता था। कभी–कभी ब्याज दर 1 महिने में 4 प्रतिशत तक बढ़ जाती थी। यदि कोई 8 रूपया कर्ज लेता था, तो उसे चुकाते समय 8 रूपये 4 आने देने पड़ते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर किसानों की स्थिती बहुत अच्छी नही थी।

अध्ययन क्षेत्र

वर्तमान में आगरा भारतीय गण राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीनतम शहर है। इतिहासकार आगरा की प्राचीनता को आर्यकालीन भारत से संबंधित मानते है। परन्तु यहां का इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना है। आगरा, में मानव जीवन के प्रमाण भारत में पूर्व द्रविड़ एवं उत्तर पाषाण काल से मिलते है। वर्तमान में आगरा उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम में संभाग एवं जिला मुख्यालय है। आगरा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 330 कि0मी0 की दूरी पर है। जबकि देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 कि0मी0 की दूरी पर है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक 2 पर 2407 अक्षांश तथा 710170 देशान्तर पर स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से आगरा गोल्डन ट्रेंगल की एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत जयपुर और दिल्ली आते हैं। आगरा जिले के पूर्व में फिरोजाबाद जिला, उत्तर में मथुरा स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश को राजस्थान से अलग करने वाली दक्षिण सीमा पर यमुना नदी है। जो आगरा की सीमाओं को धौलपुर से जोड़ती है।

आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में छोटी–छोटी पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व तक फैली है। जो चम्बल पर्वत श्रंखलाओं तक विस्तारित है। आगरा की प्राकृतिक संरचना मैदानी तथा पठारी भाग में विभिक्त है। आगरा के पूर्वात्तर भाग में पठारी भाग आता है। जोकि अधिक ऊंचा है। पूर्वोत्तर का भाग अधिक कटाव का पठारी क्षेत्र है। यहां का अधिकांश भाग मैदानी है, जो यमुना नदी के द्वारा निर्मित है, यह भाग समतलनूमा है। तुलनात्मक रूप में पूर्वोत्तर का भाग अधिक ढलान वाला है। यहां के मैदानी भाग में दोमट मिट्टी सर्वाधिक पायी जाती है। आगरा की भूमि गंगा, यमुना के मध्य में स्थित होने के कारण यहां भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। आगरा में कृषि भूमि अधिक है, परन्तु नगरीकरण के वजह से कृषि भूमि में कमी आ रही है। यहां पर वर्ष में दो बार खेती का प्रचलन है। जिसमें सामान्यतः रबी एवं खरीफ की फसलों की पैदावर की जाती है। इसके अतिरिक्त आलू व गन्ने की खेती भी प्रमुखता से होती है। आलू के बाद मूंगफली व चना यहां की सर्वाधिक होने वाली फसलें है। आगरा की जलवायु सामान्य शैली में आती है। सामान्य ऋतु क्रम के अनुसार शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि। यहां पर शीत ऋतु का प्रारम्भ नवम्बर (कार्तिक) माह से लेकर मार्च (फागुन) माह के प्रारम्भ तक रहता है। इस दौरान हवाऐं उत्तर से पश्चिम की ओर चलती है। इस समय यहां का

तापमान 1 डिग्री सेन्टीग्रेट तक हो जाता है। शीत ऋतु के पश्चात् मार्च के महीने से जलवायु गर्म होना शुरू हो जाती है जो कि जून माह तक रहती है। आगरा का सबसे गरम माह मई का महीना होता है। इस समय सर्वाधिक लू चलती है। लू में गर्म हवाएं चलती है, जिससे तापमान 420 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। आगरा में मानसून का प्रारम्भ, जून माह के अंत में होता है, जोकि सामान्यतः सितम्बर माह तक चलता है। यहां पर वर्षा सामान्य होती है। आगरा में वनों का भू–भाग 10 प्रतिशत है। यहां का क्षे़त्र प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से सम्पन्न नहीं माना जाता है। यहां के जंगलों में भी नम एवं जलाउ लकडी के वृक्ष अधिक हैं। आगरा के मुख्य नदी यमुना है, जोकि आगरा नगर के मध्य में बहती है।

आगरा के सीमावर्ती नदी चम्बल इटावा के पास जमुना में मिलती है। इसके अतिरिक्त यहां स्थानीय नदियां भी हैं। जिसमें झनझन नदी, पार्वती तथा खारी प्रमुख हैं। स्वतंत्रता के उपरांत से ही आगरा को संभाग एवं जिला मुख्यालय का प्रशासनिक दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की छोटे जिला निर्माण नीति के परिणाम स्वरूप आगरा से फिरोजाबाद जिले का निर्माण किया गया। वर्तमान में आगरा जिला में 114 न्याय पंचायतें, 638 ग्राम सभाएं, 940 राजस्व ग्राम, 904 आबाद ग्राम, 7 नगर पंचायतें, 42 पलिस थाने, 351 पोस्ट ऑफिस हैं। आगरा जिले के अंतर्गत–आगरा, फतेहाबाद, खेरागढ़, एत्मादपुर, बाह तथा किरावली छः तहसील हैं, जिनमें 15 ब्लॉक मुख्यालय हैं। आगरा का वर्तमान क्षेत्रफल 120 वर्गमील है तथा 2011 की जनसंख्या के आधार पर आगरा जिले की जनसंख्या 17,60,285 है।

शोध प्रविधि

शोध के द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों के एकत्रीकरण और उनके आधार पर किया व्यापक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में अन्वेषण और शोध की उपक्रियाएं भी सम्मिलित है। शोध शब्द में प्रवृत्ति के अनुसार पूछताछ, जाँच, गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, सौद्देश्य एवं तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण आदि की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। शोध में गहन निरीक्षण मुख्य है। जिज्ञासु व्यक्ति ही शोध कार्य सफलता से कर सकता है।

शोध में किसी तथ्य विश्लेषण का पुराने नियमों को युगानुरूप नवीनता प्रदान की जाती है। प्रदत्तों एवं तथ्यों का नए सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उनमें व्यापक अतः सम्बन्धों का विश्लेषण करना भी सम्मिलित है। इस शोध परिभाषा के सन्दर्भ में प्रस्तावित शोध कार्य हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रविधियों का भी आश्रय लिया गया हैः–

विश्लेषणात्मक प्रविधि–इस प्रविधि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया गया है। इस शोध निबन्ध का चयन पूर्ववर्ती शोधों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके किया गया है। विश्लेषणात्मक पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तुत शोध कार्य के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध निबंधों, समाचार पत्रों आदि का उपयोग किया गया है।

ऐतिहासिक प्रविधि– उपर्युक्त प्रविधि के अन्तर्गत प्राथमिक स्त्रोतों का अध्ययन शोध कार्य को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए किया गया है।

तुलनात्मक प्रविधि– प्रस्तावित शोध कार्य में तुलनात्मक प्रविधि के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त आगरा में ब्रिटिशकालीन एवं स्वतंत्रता पश्चात् की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सम्बन्धित गतिविधियों की तुलना की गयी है।

अन्वेषणात्मक प्रविधि– इस प्रविधि का विशेष महत्व है क्योंकि इस शोध कार्य में जहां पूर्ववर्ती और द्वितीयक स्त्रोतों का अभाव हुआ है वहां इस विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध–उद्देश्य

शोध उद्देश्य द्वारा शोध की दिशा, सीमा और क्षेत्र को निर्धारित किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र संयुक्त प्रान्त आगरा में ब्रिटिशकालीन भू–धारण पद्धतियों
का ग्रामीण समाज पर प्रभाव के संदर्भ में किया गया है, जिसके मुख्य उद्देश्य अग्रवर हैः

- ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रान्त आगरा की भू–धारण पद्धतियों का अध्ययन करना।
- स्वतंत्रता पूर्व संयुक्त प्रान्त आगरा के ग्रामीण वर्ग की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध उपादेयता

प्रस्तावित शोध कार्य इतिहास के उस कालखण्ड को उजागर करता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अपनी उपयोगिता परिलक्षित व सम्बन्ध सिद्ध करता है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में इतिहास व अन्य विषयों के छात्रों को 18वीं–19वीं शताब्दी में संयुक्त प्रान्त आगरा अन्तर्गत ग्रामीण आंचल मध्य भू–धारण पद्धतियां एवं ग्रामीण व्यवस्था का विकासक्रम पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस शोध कार्य से अन्य शोधार्थियों के लिये नये शोध की सम्भावनाओं का विकास होगा। प्रस्तावित शोध कार्य में नवीन तथ्यों और ऐतिहासिक स्त्रोतों के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति व विकास का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। स्वतंत्रता पूर्व संयुक्त प्रान्त आगरा के सम्बन्ध में जो ज्ञान का अभाव हैं, उस अभाव को प्रस्तुत शोध कार्य कुछ हद तक पूर्ण करने के मार्ग में एक प्रयास मात्र है।

निष्कर्षः

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परम्परागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। धीरे-धीरे कम्पनी के खर्चे में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई के लिये कम्पनी ने भू-राजस्व की दरों को बढ़ाया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि भू-राजस्व ही ऐसा माध्यम था जिससे कम्पनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था।

© **Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करने तथा अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आगरा की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि के परम्परागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय तक भू-राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया तथा इस समय तक भू-राजस्व की वसूली बिचौलियों (जमीदारों या लगान के ठेकेदारों) के माध्यम से ही की जाती रही, किंतु उसके पश्चात कम्पनी द्वारा नये प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गयी। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिये कई नये प्रकार के भू-राजस्व बंदोबस्त कायम किये। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने आगरा में तीन प्रकार की भू-धृति पद्धतियां (स्ंदक जमदनतम `लेजमउ) अपनायीं

१. जमींदारी

२. रैयतवाड़ी

३. महालवाड़ी।

यद्यपि प्रारंभ में (१७७२ में) वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा भी प्रारंभ की थी किंतु यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चली तथा ब्रिटिश शासनकाल में यही तीन भू-राजस्व व्यवस्थायें हीं प्रभावी रहीं। इजारेदारी प्रथा मुख्यतया बंगाल में ही लागू की गयी थी। तत्पश्चात लागू की गयी जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को संयुक्त प्रान्त आगरा के भागों में लागू किया गया।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची</u>

1. उत्तर प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान प्रक्रिया–एक समीक्षा, उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क, (उपवन) पूर्वी उ.प्र.।
2. ''उ.प्र. डाटा हाई लाइट्स दी शिड्यूल ट्राइब्स'', 2001 *कमीशन ऑफ इण्डिया।*
3. ।हतपबनसजनतंस `पजनंजपवद पद प्दकपंए क्पतमबजवतंजम वि म्बवदवउपबे ंदक ैजंजपबेए डपदपेजतल वि ।हतपबनसजनतम ळवअजण् वि प्दकपंए छमू क्मसीपण
4. ।हतपबनसजनतंस `पजनंजपवद पद प्दकपंए क्पतमबजवतंजम वि म्बवदवउपबे ंदक ैजंजपबेए डपदपेजतल वि ।हतपबनसजनतम ळवअजण् वि प्दकपंए छमू क्मसीपण
5. ठींतहंअए ळवचंस भ्त्नतंस क्मअमसवचउमदज जीतवनही ।हतव.प्दकनेजतपंस ब्मदजमते ए ज्ञनतनोीमजतंए टवसण 19 छवण11 डंतबी 1ए 1971ए च्च्ण 2.3ण क्मसीपए 1986ण

6. क्तण बिंजनतइीनर डंउवतपलं ंदक श्रंपद रू भम्बवदवउपब क्मअमसवचउमदज – च्संददपदह पद प्दकपं ैपजलं ठींूदए ।हतंण
7. पाउलेट, पी. एल, *गजेटियर ऑफ आगरा* (अनु. अनिशा जोशी), पृ.2।
8. प्दकपंद म्बवदवउपब त्मअपमूए क्मसीप ँबीववस वि म्बवदवउपबण
9. प्दकपंद थ्ंतउपदह प्दकपंद ब्वनदबपस वि ।हतपबनसजनतंस त्मेमंतबीए छमू क्मसीपण
10. प्रो0 एस0एन0लालः भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेङ्खण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
11. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में संग्रहित *फोरेन पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट की फाइल्स*
12. शर्मा, बृजकिशोर, *उ0प्र0 में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन*, पृ. 209।
13. ज्ञींकपहतंउवकलवहए ज्ञींकप ंदक टपससंहम प्दकनेजतपमे ब्वउउपेपवदए ठवउइंलण
14. सी0 रंगराजन (भू0पू0 गर्वनर, आर0बी0आई0) : भारत की अर्थनीति, राजपाल, दिल्ली।
15. डण्ैण त्ंदकीूं रू । भ्पेजवतल वि ।हतपबनसजनतम पद प्दकपंए प्दकपंद ब्वनदबपस वि ।हतपबनसजनतंस त्मेमंतबीए टंसनउम प्ए प्ध ंदक टप्ए छमू क्मसीपए 1980ए च्च.199.200ण
16. डंतहपदए छंजपवदंस ब्वनदबपस वि ।चचसपमक म्बवदवउपब त्मेमंतबीए छमू क्मसीपण
17. उत्तर प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान प्रक्रिया–एक समीक्षा, उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क, (उपवन) पूर्वी उ.प्र.।
18. उत्तर प्रदेश रा. अभि., लखनऊ, ज्यूडिशियल रिकार्ड, फाइ नं. 315जे/23, 1925।
19. वेद प्रकाश दुबे एवं प्रो0 एस0एन0 चतुर्वेदी रू ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रेशम उद्योग की सहभागिता'' कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2009, पेज नं0–24।

© **Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)**